न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

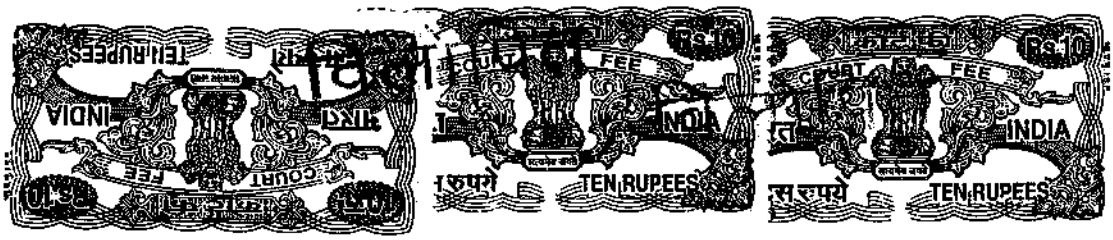

द्वारा आज दि. 23-6-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

नि 1998-II-16

1. शीतल प्रसाद तनय स्व0 श्री पुरूषोत्तम दास गौड़ उम्र 70 वर्ष पेशा पेंशनर,
2. बेवा उर्मिला देवी पत्नी स्व0 श्री बृजेन्द्रनाथ गौड़ उम्र 78 वर्ष,
3. छेगेन्द्र गौड़ तनय स्व0 श्री बृजेन्द्रनाथ गौड़ उम्र 48 वर्ष सभी निवासी वैद्यन टोला उपरहटी तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....**आवेदक/निगराकारगण**

बनाम

शासन मध्य–प्रदेश .... **अनावेदक/गैरनिगराकार**

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 621/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 15.06.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य निम्न है :–

01. यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 930 जिसका पुराना नम्बर ~~210~~ 747/857 रकबा 0.234 हे0 स्थित ग्राम गड़रिया 154 पटवारी हल्का जोरी–133 राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द तहसील हुजूर जिला रीवा विवादित भूमि है। जिसके संबंध में राजस्व अभिलेखो में भूलवश म0प्र0 शासन दर्ज हो जाने के संबंध में सही प्रविष्टि करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अधीन तहसील न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1998–दो/2016 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–7–2016	निगरानीकर्ता शीतला प्रसाद, उर्मिला देवा तथा क्षेमेन्द्र गौड़ ने अपर कमिश्नर रीवा के आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन प्रस्तुत किया है । 2/ पुनरीक्षण के साथ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति एवं उसके साथ तहसील न्यायालय के वर्ष 1982–83 के दायरा रजिस्टर व संबंधित भूमि खसरा नं0 747/857 रकबा 0.80 एकड़ की खतौनी, अधिकार अभिलेख खतौनी वर्ष 1958–59 तथा खसरा वर्ष 1979–80 से 1983–84 एवं खसरा वर्ष 1999 से 2002, खसरा वर्ष 1998 से 2002 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 05.02.16 जिसके विरूद्ध दायर अपील अपर कमिश्नर रीवा ने दिनांक 16.06.2016 को निरस्त किया है की प्रति प्रस्तुत की गई है । 3/ मैंने उपरोक्त आदेश एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं निगरानीर्ता के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किया । 4/ मामले के संक्षेप में तथ्य यह है कि भूमि	

खसरा नं0 747/857 जिसका अधिकार अभिलेख तैयार करते समय नया नं0 930 कायम हुआ, स्थित ग्राम–गड़रिया तहसील हुजूर, जिला–रीवा निगरानीकर्ता की पुश्तैनी भूमि है । खतौनी बन्दोबस्त 1982–2001 प्रस्तुत है, जिसमें काश्तका के कॉलम में सरजू प्रसाद का नाम दर्ज है तथा सरजू प्रसाद के स्थान पर वंशगोपाल वगैरह का नाम दर्ज करने का विवरण है । खतौनी 58–59 में वंशगोपाल व शंकर्षण प्रसाद का नाम दर्ज है । अधिकार अभिलेख का पत्रक में काबिजदार के रूप में बृजेन्द्रनाथ व शीतल प्रसाद तनय पुरूषोत्तम का नाम दर्ज है । खसरा वर्ष 99 से 2000 में बृजेन्द्रनाथ व शीतल प्रसाद का नाम दर्ज है ।

5/ तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 56अ/191 वर्ष 82–83 दिनांक 23.12.83 के अनुसार आवेदक शीतल प्रसाद तथा निगरानीकर्ता क्र0 2, 3 के पूर्वाधिकारी बृजेन्द्रनाथ के नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किए जाने का आदेश है व खसरों में भी उक्त आदेश का इन्द्राज है । निगरानीकर्ता की तरफ से यह बिन्दु उठाया गया कि कम्प्यूटरीकृत खसरे में वर्ष 2001–02 में उनका नाम बिना किसी आदेश के म0प्र0 शासन दर्ज कर दिया गया, उसके सुधार हेतु आवेदन धारा 32 के अधीन दिया गया था। नामांतरण हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया था।

7/ खसरे में गलत व अशुद्ध प्रविष्टि के सुधार के संबंध में संहिता की धारा 115, 116 एवं धारा 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके सुधार करने की व्यवस्था है । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने निगरानीकर्ता की अपील मुख्य रूप से इस आधार पर निरस्त किया कि शासकीय भूमि के नामांतरण की अधिकारिता नहीं है । यदि वास्तव में नामांतरण के लिए कोई आवेदन तहसीलदार के समक्ष धारा 109, 110 के अधीन प्रस्तुत होगा तो निश्चित ही नामांतरण का मामला पोषणीय न होता, लेकिन खसरे में गलत व अशुद्ध प्रविष्टि होने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था । तद्नुसार आवेदन स्वीकार करने का उचित आधार नहीं था । इस तरह अधीनस्थ न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है वह विधि अनुसार नहीं है । यदि खसरे में कोई गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का बिन्दु वर्णित करके प्रविष्टि सुधार करने का आवेदन दिया था तो ऐसी स्थिति में आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर गुणदोष पर निर्णय करना चाहिए था, लेकिन उस आवेदन को जो नामांतरण संबंधी मामला होना वर्णित करके निरस्त किया, वह आदेश कायम रखने योग्य नहीं है ।

8/ न्याय दृष्टांत 1986 रा0नि0 पृष्ठ–208 अजीत कुमार बनाम लक्ष्मीबाई में राजस्व मण्डल द्वारा ऐसा निष्कर्ष दिया गया है कि यदि कोई गलत या अशुद्ध

प्रविष्टि बावत् न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश होता है तो ऐसी त्रुटि के संबंध में केवल पक्षकार ही दोषी नहीं होगा, बल्कि संबंधित कर्मचारियों का दायित्व होता है कि सुधार का आदेश सुनवाई उपरांत पारित करें । उक्त तथ्यों के आधार पर जो खसरे में गलत व अशुद्ध प्रविष्टि के सुधार हेतु आवेदन किया गया था, उसे तकनीकी आधार पर जो नामांतरण संबंधी प्रकरण होना मान कर निरस्त किया गया है, वह आदेश विधि विधान के अनुरूप नहीं है, तद्नुसार पुनरीक्षण स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किया जाता है और आवेदक का नाम इन्द्राज किए जाने संबंधी आदेश दिया जाता है।

प्रकरण दायर पंजी से समाप्त होकर वाद–कार्यवाही संस्थित अभिलेखागार हो।

सदस्य